कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
शाखा कार्यालय, एच–21, ऋषिलोक कालोनी, ऋषिकेश, जिला–देहरादून।

दिनांक 27/08/2025

पत्रांकः 3317 /वाद संख्या–आर–0532/2025

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण बनाम श्री शगुन शर्मा,
निर्मल बाग, ब्लाक बी, गली न–11
विस्थापित, ऋषिकेश।

विपक्षी द्वारा निर्मल बाग, ब्लाक बी, गली न–11, विस्थापित, ऋषिकेश, जिला देहरादून में उपरोक्त स्थल पर बिना स्वीकृति के लगभग 30 फिट गुणा 50 फिट के क्षेत्रफल में भूतल, प्रथम तल की छत डालकर, द्वितीय तल की छत की शटरिंग का कार्य के विरूद्ध उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) यथासंशोधित अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत वाद संख्या आर–0532/2025 योजित करते हुए क्रमशः निर्माण कार्य रोको एवं कारण बताओ नोटिस दिनांक 03.05.2025 को निर्गत करते हुये पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 18.05.2025 की तिथि नियत की गयी थी। नियत तिथि को विपक्षी अनुपस्थित रहे। तत्पश्चात विपक्षी को कार्यालय पत्रांक 3188 दिनांक 24.05.2025 के माध्यम से सील हेतु कारण बताओ नोटिस प्रेषित किया गया। नियत तिथि को विपक्षी उपस्थित हुए परन्तु विपक्षी द्वारा निर्माण के सम्बन्ध मे कोई भी स्वीकृत मानचित्र/स्वीकृति सम्बन्धि अभिलेख कार्यालय मे प्रस्तुत नहीं किये गये। प्रकरण में विपक्षी को पर्याप्त समय दिया गया। उक्त के संबंध में क्षेत्रीय अभियन्ता द्वारा अपनी स्थलीय आख्या दिनांक 25.08.2025 में अवगत कराया गया है कि स्थल पर किये जा रहे निर्माण कार्य को रुकवाने के बाद भी निरन्तर निर्माण कार्य किया जा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि विपक्षी जानबूझ कर प्रश्नगत वाद को लम्बित रखना चाहता है जो न्यायोचित नही है। अतः ऐसी स्थिति में किये गये अनाधिकृत निर्माण कार्य को यथावत रोकने हेतु विपक्षी के निर्माण को सीलबन्द किये जाने के संस्तुति की गयी है।

–ःआदेशः–

श्री शगुन शर्मा , गली न–11, निर्मल ब्लाक बी, विस्थापित, ऋषिकेश, जिला देहरादून में विपक्षी द्वारा स्थल पर किये गये अनाधिकृत निर्माण को यथावत रोके जाने हेतु सीलबन्द किया जाना आवश्यक है। वर्णित परिस्थिति में मौके पर किये गये उपरोक्त वर्णित उक्त अनाधिकृत निर्माण के विरूद्व उत्तराखण्ड नगर एंव ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 यथा संशोधित अधिनियम की धारा–28–1 (क) के अधीन सीलबन्द के आदेश पारित किये जाते हैं। उक्त अनाधिकृत निर्माण **दिनांक** 30/08/25 को पूर्वान्ह 11.00 बजे से 05.00 बजे के मध्य सील किया जाए।

अतः विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह सील की तिथि से पूर्व उक्त परिसर को खाली कर दें तथा स्थल पर उपस्थित रह कर सील की कार्यवाही निष्पादित करायें। विपक्षी की अनुपस्थिति में सील की कार्यवाही एकतरफा सम्पादित हो। विपक्षी को यह भी निर्देश दिया जाता है कि स्थल पर लगायी गयी सील को न तो क्षतिग्रस्त करे और न होने दे, क्योंकि उक्त कृत्य शासकीय कार्य में बाधा डालना एवं सरकारी सम्पत्ति को क्षति पहुँचाने के समान है, जो कि कानूनन दण्डनीय अपराध है। आदेश की एक प्रति स्थल पर चस्पा हो तथा एक प्रति विपक्षी को तामिल की जाए।

उपजिलाधिकारी/पीठासीन अधिकारी,
ऋषिकेश।

प्रतिलिपिः–

1. प्रभारी निरीक्षक, कोतवाली, ऋषिकेश को इस निर्देश के साथ की उक्त नियत तिथि को आवश्यक पुलिस बल (महिला व पुरूष) उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
2. तहसीलदार, ऋषिकेश को इस निर्देश के साथ कि उक्त नियत तिथि को सील के दौरान कानून एंव शांति व्यवस्था के दृष्टिगत यथोचित कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
3. नाजिर, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून को इस निर्देश के साथ की उक्त नियत तिथि को प्राधिकरण वाहन, चालक सहित एवं सुरक्षा गार्ड, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को मय सील सामग्री स्टील की तार सहित उक्त दिनांक को पूर्वान्ह 11.00 बजे शाखा कार्यालय ऋषिकेश में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
4. सम्बन्धित क्षेत्रीय अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, शाखा कार्यालय, ऋषिकेश को इस निर्देश के साथ कि सील कार्यवाही नियत तिथि पर कराना सुनिश्चित करें।

उपजिलाधिकारी/पीठासीन अधिकारी,
ऋषिकेश।

DOSO